

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 373 / 2005

संस्थित दि. : 23 / 06 / 05

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र  
बिरसा, जिला बालाघाट (म0प्र0)

..... अभियोजन

### विरुद्ध

सन्तुलाल पिता मयाराम यादव, उम्र 46 वर्ष,  
निवासी कनिया तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) ..... आरोपी

शासन द्वारा	:	ए.डी.पी.ओ।
आरोपी द्वारा अधिवक्ता	:	श्री आर.बी.पाठक।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 02/07/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 09/02/05 को 01:00—03:00 बजे, स्थान ग्राम कनिया थाना बिरसा, लोकमार्ग पर मेटाडोर 407 क्रमांक एम.पी.50/जी0168 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा जितेन्द्र यादव को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि रोजनामचा सान्हा 285/05 की जांच एवं गवाह रोशनलाल, नेजू, सुन्दरलाल, के कथन लिए और पाया कि दिनांक 09.02.2005 को दिन के 02:15 बजे मेटाडोर 407 एम.पी.50/जी0168 के चालक सन्तुलाल ने मेटाडोर को लापरवाहीपूर्वक चलाकर जितेन्द्र के पैर पर पहिया चढ़ा दिया, जिससे जितेन्द्र के पैर, जांघ और दाहिने हाथ में चोट आई। आरोपी सन्तु के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र बिरसा में अपराध क्रमांक 08/05 अन्तर्गत धारा 279, 337 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से वाहन मेटाडोर 407 एम.पी. 50/जी0168 को जप्त कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी सन्तुलाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झुठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :—

- (अ) क्या आरोपी ने दिनांक 09/02/05 को 01:00-03:00 बजे, स्थान ग्राम कनिया थाना बिरसा, लोक मार्ग पर मेटाडोर 407 क्रमांक एम.पी.50/जी0168 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?
- (ब) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने वाहन मेटाडोर 407 क्रमांक एम.पी.50/जी0168 को उपेक्षपूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर जितेन्द्र यादव को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी फूलचंद (अ.सा.06) का कहना है कि दिनांक 09.02.2005 को उसने मलाजखण्ड अस्पताल से जितेन्द्र की एक्सीडेंट सम्बन्धित तहरीर प्राप्त होने पर मौके पर जाकर जांच किया जांच दौरान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 का अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता राधेश्याम (अ.सा.10) का कहना है कि उसने नन्हूराम की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-7 बनाया था। गवाह रोशनसिंह, नेगूबाई, बहादुर, सुन्दरलाल, कार्तिक के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी जगतलाल और शत्रुधन के समक्ष वाहन मेटाडोर 407 क्रमांक एम.पी.50/जी0168 को जप्त किया था और वाहन जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी प्रचनामा प्रदर्श पी-6 बनाया था।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के.बेनर्जी (अ.सा.07) का कहना है कि जितेन्द्र यादव की मेडीकल परीक्षण में बांयी जांघ की हड्डी टूटी हुई, कुल्हे की हड्डी टूटी हुई और मल द्वार से खून निकल रहा था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है। आहत का एक्सरे कराया था। एक्सरे में बांयी जांघ एवं कुल्हे की हड्डी टूटी हुई होना उसके द्वारा पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है एवं अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के.झा (अ.सा.11) का कहना है कि जितेन्द्र यादव की बांयी जांघ और कमर के सामने के भाग की हड्डी टूटी हुई थी। रिश्तेदारों ने बताया था कि 19 फरवरी को एक्सीडेंट में चोटे आई थी तथा अभियोजन साक्षी डॉक्टर संजय कुमार भोई (अ.सा.14) का कहना है कि दिनांक 10.02.2005 को 9 सेक्टर हॉस्पिटल भिलाई में आपातकालीन विभाग में डिविजनल मेडीकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ होते हुए जितेन्द्र यादव को आई गम्भीर प्रकार की चोटों को देखते हुए उसने जितेन्द्र को बच्चों के आई.सी.यू. वार्ड में भर्ती किया। भर्ती

पर्ची प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं अभियोजन साक्षी डॉक्टर संजीवनी पटेल (अ.सा.13) का कहना है कि दिनांक 10.02.2005 को सेक्टर 9 में अस्पताल वार्ड सी.02 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ होते हुए डॉ.एम.मानती के कहने पर उसने एकसरे प्लेट क्रमांक 4464 को भरा था।

(10) अभियोजन साक्षी सुन्दरलाल (अ.सा.01) का कहना है कि दिनांक 09.02.2005 को जितेन्द्र को मेटाडोर 407 ने उसके घर के पास 4:00-5:00 बजे टक्कर मार दी थी। हल्ला होने पर उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो वाहन चला गया था। आरोपी ने वाहन तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी थी ऐसा उसने नहीं बताया था। वाहन के नम्बर भी उसने नहीं बताये थे। प्रतिपरीक्षण में भी यह बताया है कि वाहन कौन चला रहा था उसने नहीं देखा एवं अभियोजन साक्षी रोशनलाल (अ.सा.02) का कहना है कि आरोपी संतुलाल ने मेटाडोर को उपेक्षापूर्वक चलाकर एक लड़के को टक्कर मार दी थी। उसने थाने में रिपोर्ट की थी। जांच की गई और उसके बयान लिए थे। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया तथा अभियोजन साक्षी नैतूबाई (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन से चार-पांच साल पुरानी दिन के 01:00 बजे ग्राम कनिया उसके घर के सामने रोड़ पर की है। जितेन्द्र साईड में खेल रहा था तो आरोपी संतुलाल तेजगति से मेटाडोर चलाते हुए लाया और उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से जितेन्द्र की जांघ पर चोट लगी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी उसका वाहन खड़ा करके घर चला गया था।

(11) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी बहादुर (अ.सा.04) का कहना है कि घटना उसके कथन के चार वर्ष पुरानी करीब ढायी बजे की आरोपी के घर के पास की है। गाड़ी जाने के बाद उसने देखा लड़के की कमर में चोट लगी हुई थी। घटना किसकी गलती से हुई इसकी जानकारी उसे नहीं है एवं अभियोजन साक्षी शत्रुधन (अ.सा.05), कार्तिकराम (अ.सा.08), मुकेश अडमे (अ.सा.12) का कहना है कि घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। थाने में आते जाते रहते हैं इसलिए पुलिस के कहने पर पुलिस के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे तथा अभियोजन साक्षी जगतलाल (अ.सा.09) का कहना है कि पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तार पत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50/जी0168 के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा, फिटनेस, ड्रायविंग लायसेंस, जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था तथा पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी क्लेम राशि प्राप्त करने हेतु झूठा आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट व विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन साक्षी सुन्दरलाल (अ.सा.01), रोशनलाल (अ.सा.02), नैतूबाई (अ.सा.03), बहादुर (अ.सा.04), शत्रुधन (अ.सा.05), कार्तिकराम (अ.सा.08), जगतलाल (अ.सा.09), मुकेश अडमे (अ.सा.12) ने भी अभियोजन का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। अतः अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाये।



(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी फूलचंद (अ.सा.06) का कहना है कि दिनांक 09.02.2005 को उसने मलाजखण्ड अस्पताल से जितेन्द्र की एक्सीडेंट सम्बंधित तहरीर प्राप्त होने पर मौके पर जाकर जांच किया जांच दौरान भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 का अपराध पाये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता राधेश्याम (अ.सा.10) का कहना है कि उसने नन्हूराम की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-7 बनाया था। गवाह रोशनसिंह, नेगूबाई, बहादुर, सुन्दरलाल, कार्तिक के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी जगतलाल और शत्रुधन के समक्ष वाहन मेटाडोर 407 क्रमांक एम.पी.50/जी0168 को जप्त किया था और वाहन जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 बनाया था।

(15) किन्तु अभियोजन साक्षी सुन्दरलाल (अ.सा.01) का कहना है कि दिनांक 09.02.2005 को जितेन्द्र को मेटाडोर 407 ने उसके घर के पास 4:00-5:00 बजे टक्कर मार दी थी। हल्ला होने पर उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो वाहन चला गया था। आरोपी ने वाहन तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी थी ऐसा उसने नहीं बताया था। वाहन के नम्बर भी उसने नहीं बताये थे। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि वाहन कौन चला रहा था उसने नहीं देखा एवं अभियोजन साक्षी रोशनलाल (अ.सा.02) का कहना है कि आरोपी ने संतुलाल ने मेटाडोर को उपेक्षापूर्वक चलाकर एक लड़के को टक्कर मार दी थी। उसने थाने में रिपोर्ट की थी। जांच की गई और उसके बयान लिए थे। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया तथा अभियोजन साक्षी नैतूबाई (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन से चार-पांच साल पुरानी दिन के 01:00 बजे ग्राम कनिया उसके घर के सामने रोड़ पर की है। जितेन्द्र साईड में खेल रहा था तो आरोपी संतुलाल तेजगति से मेटाडोर चलाते हुए लाया और उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से जितेन्द्र की जांघ पर चोट लगी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी उसका वाहन खड़ा करके दूर चला गया था।

(16) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी बहादुर (अ.सा.04) का कहना है कि घटना उसके कथन के चार वर्ष पुरानी करीब ढायी बजे की आरोपी के घर के पास की है। गाड़ी जाने के बाद उसने देखा लड़के की कमर में चोट लगी हुई थी। किन्तु साक्षी ने घटना किसकी गलती से हुई इसकी जानकारी उसे नहीं मालूम एवं अभियोजन साक्षी शत्रुधन (अ.सा.05), कार्तिकराम (अ.सा.08), मुकेश अडमे (अ.सा.12) का कहना है कि घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। थाने में आते जाते रहते हैं इसलिए पुलिस के कहने पर पुलिस के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

(17) अभियोजन साक्षी जगतलाल (अ.सा.09) का कहना है कि पुलिस ने उसके समक्ष कोई जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं की। किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तार पत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50/जी0168 के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा, फिटनेस, ड्रायविंग लायसेंस, जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया था तथा पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी

पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था।

(18) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के.बेनर्जी (अ.सा.07) का कहना है कि जितेन्द्र यादव की मेडीकल परीक्षण में बांयी जांघ की हड्डी टूटी हुई, कुल्हे की हड्डी टूटी हुई और मल द्वार से खून निकल रहा था। उसके द्वारा तैयार की गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 है। आहत का एक्सरे कराया था। एक्सरे में बांयी जांघ एवं कुल्हे की हड्डी टूटी हुई उसके द्वारा पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के.झा (अ.सा.11) का कहना है कि जितेन्द्र यादव की बांयी जांघ और कमर के सामने के भाग की हड्डी टूटी हुई थी। रिश्तेदारों ने बताया था कि 19 फरवरी को एक्सीडेंट में चोटे आई थी। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी डॉक्टर संजय कुमार भोई (अ.सा.14) का कहना है कि दिनांक 10.02.2005 को 9 सेक्टर हॉस्पिटल भिलाई में आपातकालीन विभाग में डिविजनल मेडीकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ होते हुए जितेन्द्र यादव को आई गम्भीर प्रकार की चोटों को देखते हुए उसने जितेन्द्र को बच्चों के आई.सी.यू. वार्ड में भर्ती किया। भर्ती पर्ची प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी डॉक्टर संजीवनी पटेल (अ.सा.13) का कहना है कि दिनांक 10.02.2005 को सेक्टर 9 में अस्पताल वार्ड सी.02 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ होते हुए डॉ.एम.मानती के कहने पर उसने एक्सरे प्लेट क्रमांक 4464 को भरा था।

(19) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से दिनांक 09/02/05 को आहत जितेन्द्र को एक्सीडेंट में घोर उपहति कारित होने की पुष्टि मेडीकल रिपोर्ट एवं एक्सरे रिपोर्ट से होती है। किन्तु आरोपी द्वारा दिनांक 09/02/05 को 01:00-03:00 बजे, स्थान ग्राम कनिया थाना बिरसा, लोक मार्ग पर मेटाडोर 407 क्रमांक एम.पी.50/जी0168 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा जितेन्द्र यादव को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ऐसा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में एवं विवेचनाकर्ता के कथनों में तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। यदि अभियोजन के साक्षियों के कथनों में थोड़ा बहुत भी विरोधाभास होता है तो अभियोजन का प्रकरण विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। अभियोजन को अपना प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

(20) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी सन्तुलाल ने दिनांक 09/02/05 को 01:00-03:00 बजे, स्थान ग्राम कनिया थाना बिरसा, लोक मार्ग पर मेटाडोर 407 क्रमांक एम.पी.50/जी0168 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया तथा जितेन्द्र यादव को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की। अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद प्रतीत होता है। अतः संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(21) परिणाम स्वरूप आरोपी सन्तुलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

(22) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके पक्ष में निष्पादित पूर्व के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

(23) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मेटाडोर क्रमांक 407 एम.पी.50/जी0168 सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगी नामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित  
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)